अनुसूची 14 –फारम सं०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

जिला–.........राँची......................, दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–.........43..................सन्–.......2018–19..... ।

वाद का प्रकार–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद।

अर्जीकार–मो० सुकरू देवी बनाम प्रतिपक्षी–झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल अधिकारी, सोनाहातु वगैरह।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

आदेश

30-09-2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी–मो० सुकरू देवी, पति–स्व० धरम पुरान, सा०–माहुलडीह, पो०–टी.टी. मानकीडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, सोनाहातु के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–64 R27/2017-2018/सोनाहातु में दिनांक–09.04.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
महुलडीह	सोनाहातु	8	36	977	66 डीसमील

चौहदीः–उ०–मगनसाय पातर, द०–हेमन्त पुरान, पू०–छाडू पातर, प०–कालीचरण पातर।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। नोटिस निर्गत कर अंचल अधिकारी, सोनाहातु से मूल अभिलेख की माँग करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष ने दिनांक–20.06.2015 ई० को बुक नं.–1, भोलुम नं.–14, पेज नं.–429 से 452, डीड नं.–254/250 के क्रमांक पर द्वितीय पक्ष (मो० दुबलू देवी) से निबंधित विक्रय पत्र द्वारा खरीदकर उक्त भूमि पर शांतिपूर्वकर दखलकार है। विक्रेता दुबलू देवी पंजी।। रैयत धन्नजय पातर का धर्मपत्नी है। ऑनलाईन ।। के भाग वर्त्तमान–1, पृष्ठ सं०–18 पर विक्रेता के पति धन्नजय पातर का नाम दर्ज है। जबकि अंचल अधिकारी, सोनाहातु द्वारा पंजी ।। से विक्रेता का कोई संबंध स्थापित नहीं होता है, का कारण स्पष्ट कर नामांतरण अस्वीकृत कर दिया गया है। अतएव अनुरोध है कि उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपील वाद को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, सोनाहातु को उक्त भूमि का दाखिल खारिज करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

ह०: 30/09

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
30-09-2020	अंचल अधिकारी, सोनाहातु के पत्रांक–253(ii) दिनांक–18.08.18 द्वारा प्राप्त नामांतरण मुकदमा सं०–64 R27/2017-2018/सोनाहातु का मूल अभिलेख एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के मंतव्यानुसार पंजी2 रैयत से विक्रेता का कोई संबंध स्थापित नहीं होता। इसी आधार पर अंचल अधिकारी, सोनाहातु द्वारा नामांतरण अस्वीकृत किया गया। स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा समर्पित दस्तावेजों की जाँच–पड़ताल किए बिना ही उक्त नामांतरण वाद को निम्न न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया गया है। अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, सोनाहातु द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनसे आवेदित भूमि से संबंधित मूल कागजातों की जाँच–पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। निम्न न्यायालय को उनके मूल अभिलेख के साथ इस आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित। Sd/- 30/09 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)। Sd/- 30/09 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।	